उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- *अस्थाई वृत्त लो०नि०वि० गुप्तकाशी*

खण्ड का नाम :- *प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग*

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी०)

क्षेत्रफल :--

वन पंचायत भूमि	--	0.5950 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	--	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	--	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	--	0.1050 हेक्टेयर
	कुल क्षेत्रफल --	0.7000 हेक्टेयर
	वांछित क्षेत्रफल--	**0.5950 हेक्टेयर**

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट / INDEX

[illegible] का नाम :–	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव(लम्बाई 1.00 किमी0)।		
[illegible]	प्रस्ताव का नाम	पेज न0	टिप्पणी
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible] अधिकारी /आन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित [illegible] हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण [illegible]	1	
[illegible]	[illegible] ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें [illegible] कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया [illegible]	2	
[illegible]	[illegible] टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को [illegible] के साथ दिखाया गया हो।	3	
[illegible]	[illegible] मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण [illegible] अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं [illegible] भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
[illegible]	[illegible] कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण [illegible] को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
[illegible]	[illegible] द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी [illegible] 2006 का प्रमाण–पत्र मय सलंग्नकों [illegible] में)	6-10	
[illegible]	[illegible] परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का [illegible] जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को [illegible] हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय [illegible] द्वारा हस्ताक्षरित हो।	–	लागू नहीं
[illegible]	[illegible] मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण [illegible] दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित [illegible] वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	–	लागू नहीं
[illegible]	[illegible] कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा [illegible] की आवश्यकता हो तो भूमि धर [illegible] प्रमाण–पत्र एवं भूमिधर होने का [illegible]	11	
[illegible]	[illegible] एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीय हुए [illegible]डी0एफ0)	12	
[illegible]	[illegible] लागत–लाभ–विश्लेषण प्रमाण पत्र(यदि [illegible])	–	लागू नहीं

[illegible]	**अतिरिक्त संलग्नक**		
[illegible]	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	13	
[illegible]	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-23	
[illegible]	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।(प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	24-26	
[illegible]	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	27-30	
[illegible]	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की माप न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	31	
[illegible]	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	32	
[illegible]	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र व उसमें भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	33	
[illegible]	परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	34	
[illegible]	क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि (मानक वर्ष दरें)।	–	लागू नहीं
[illegible]	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनस्थल उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	–	लागू नहीं
[illegible]	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	–	लागू नहीं
[illegible]	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोण का प्राक्कलन।	35-36	
[illegible]	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	36(A)	–
[illegible]	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र(1 हे0 से कम में वन)। 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण	37-39	
[illegible]	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरिक्षत वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनो अलग–अलग बनायी जानी होगी।	40	
[illegible]	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	41	

[illegible]	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	42	
[illegible]	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	43	
[illegible]	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	44-53	
[illegible]	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	54	
[illegible]	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	—	—
[illegible]	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	—	—
[illegible]	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	55	
[illegible]	ग्राम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	56-58	
[illegible]	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं एलाइनमेंट तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा स्पष्ट नाम एवं पद के साथ।	59	
[illegible]	प्रस्ताव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि लागू हो तो)।	—	—
[illegible]	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	60	
[illegible]	भू–वैज्ञानिक की आख्या।	61-64	
[illegible]	टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	65	
[illegible]	मानक शर्तों का विवरण।	66	
[illegible]	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	66	
[illegible]	टास्क–फोर्स एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	67	
[illegible]	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	68	
[illegible]	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	69	
[illegible]	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	70	
[illegible]	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।	71	
[illegible]	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण–पत्र।	72-73	

[illegible]	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	74	
[illegible]	भूमि के लीज रेट का प्रमाण–पत्र।	75	
[illegible]	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।		लागू नहीं
[illegible]	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण–पत्र।	76	
[illegible]	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रयोक्ता विभाग द्वारा दिया गया।	76	
[illegible]	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र(अगर लागू हो)	–	–
[illegible]	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	77-79	

अन्य प्रपत्र 80-91

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी0)

इस मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 11.09.2012 द्वारा लम्बाई 1.00 किमी0 हेतु लागत रू0 12.60 लाख (प्रथम चरण) की प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न हैं।

यह मार्ग पूर्व निर्मित बगडग्वालधार से बर्सिल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम बर्सिल व बमोली को जोड़ेगा। मार्ग के निर्माण हो जाने से बर्सिल गांव को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। जिस हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के नव निर्माण में 0.5950 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.1050 है0 नाप भूमि, 0.0000 है0 सिविल सोयम वन भूमि एवं 0.0000 है0 आरक्षित वन भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांव के साथ–साथ ही लगभग 150 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार–

वन पंचायत भूमि	–	0.5950 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	0.1050 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	**0.7000 हेक्टेयर**
वांछित क्षेत्रफल	–	**0.5950 हेक्टेयर**

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को **0.5950 है0** वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A2.2

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

----------संलग्न है----------

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

आदेश

अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या [illegible]/III(2)/12–03(बजट)/2012, लो0नि0वि0 अनुभाग–2 दिनांक 16.04.2012 के द्वारा लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग की जिला योजना के अन्तर्गत मार्ग/सेतु कार्य हेतु ₹ 1437.35 लाख (चौदह करोड़ सैंतीस लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र) का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। शासनादेश संख्या [illegible]/III(2)05–47 (बजट)/2005 दिनांक 17.01.2006 के अनुसार 3.50 X अनुमोदित परिव्यय – 31.03.2012 का अवशेष अर्थात 3.50 X 1437.35 – 1001.99 = ₹ 4028.74 लाख की सीमा तक के नये कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 28.07.2012 को माननीय प्रभारी मंत्री जनपद रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय तथा मा0 जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त (अर्थ एवं संख्याधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्रांक [illegible]/जिला योजना/2012–13 दिनांक 29.08.2012 के साथ संलग्न अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार) संलग्न 175 नये कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 4028.74 लाख (चालीस करोड अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र) रूपये की निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है, (संलग्न अर्थ एवं संख्याधिकारी का पत्र)।

शर्तें–

1. जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता तथा समस्त वित्तीय व्यय हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
3. स्वीकृत धनराशि क ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न किया जाय जिसके समबन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा योजना विवाद ग्रस्त हो।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. यह सुनिश्चित कर ली जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय क्योंकि इस प्रकरण के कार्य वार्षिक आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं तथा 12 माह में पूर्ण होने वाले कार्यों में अनुमानित लागत के बाद किसी प्रकार की बढोत्तरी का प्राविधान नहीं है।
6. उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जाय तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन सामान्य किश्तों में कोषागार से आहरण किया जाय।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31.03.2013 तक कर इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि संकलित रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

क्रमशः–2 पर

16

8. स्थलीय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार यदि जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा दी गई योजनाओं के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से संशोधित किया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्यक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत 800–अन्य व्यय 91 जिला योजना 00–24 वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग 1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 193/XXXVII(1)/2012, दि0 30.03.2012 के क्रम में अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं0 1169/III(2)/12–03(बजट)/2012, लो0नि0वि0 अनुभाग–2 दिनांक 16.04.2012 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

11. उपर्युक्त वर्णित शर्तों(क्रम संख्या 1 से 10तक) का अक्षरांश अनुपालन किया जायेगा, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक :– यथोक्त

(नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2012–2013 दि0: 11-9-2012

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जनपद रूद्रप्रयाग को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
9. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 100/6 नैशविला रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर
13. मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
14. जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
15. जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0) रूद्रप्रयाग।
16. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
17. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
18. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित नये कार्यों का विवरण धनराशि

मार्ग का नाम	लम्बाई / स्थान	लागत (लाख में)
2	3	5
[illegible]–चौकी बर्सिल से तमिण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	12.60
[illegible]–अमर तोन्दला–कलाकोट–पिल्लू–जयकण्डी–बासौं तक मोटर मार्ग	3.00	37.80
[illegible]–उडामाण्डा सडक से सणगू तक सड़क निर्माण	1.00	12.60
[illegible] रणौ गैर से रणौ पानी तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	18.90
[illegible] तक मोटर मार्ग निर्माण	1.00	12.60
[illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60
[illegible]–चुनका मोटर मार्ग पर बैण्ड से ग्राम पंचायत गडोरा के राजीव गांधी पंचायत भवन [illegible] तक मोटर मार्ग	1.00	12.60
[illegible] राजमार्ग से कलना गांव तक मोटर मार्ग मार्ग	2.00	25.20
[illegible]–बैठा मोटर मार्ग के बैठा से किमोठा–नाग–नैली तक मोटर मार्ग	2.00	25.20
[illegible] बाजार से चन्द्रनगर हास्पिटल तक मोटर मार्ग	0.15	5.79
[illegible] एवं तिलवाडा–बावई मिसिंग लिंक	2.60	100.36
[illegible] से चौकी बर्सिल मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)	1.00	12.60
[illegible] से [illegible] मोटर मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)	2.00	25.20
[illegible] मोटर मार्ग पर तिलाड़ी नामक स्थान से इशाला तक मोटर मार्ग का नव [illegible] (प्रथम चरण)	2.00	25.20
[illegible] से तिलवाड़ा बावई के मध्य मिसिंग लिंक का निर्माण (प्रथम चरण)	0.75	9.45
[illegible] पुल से कोटेश्वर–उन्नरानारायण तक मोटर मार्ग का डामरीकरण, चौडीकरण एवं [illegible] क्रेश बैरियरों का निर्माण।	1.45	34.80
[illegible] से हडेटीखाल मोटर मार्ग का विस्तार	1.50	18.90
[illegible] मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	L.S.	10.00
[illegible]–बैजी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण	1.50	57.90
[illegible] तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.50	31.50
[illegible] पुल से अनु0 जाति बस्ती बछनी – ग्वाड़ तक मुख्य पैदल मार्ग व पुलिया का [illegible]	1.00 + 8 mtr	19.40
[illegible]–कुरझण–काण्डई हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर [illegible] एवं गढधार में टर्निंग प्वाइंट	0.60	25.40
[illegible] मोटर मार्ग के किमी0 6 में डामरीकरण	1.00	24.00
[illegible] – [illegible]खाल मोटर मार्ग का डामरीकरण	3.00	72.00
[illegible]–चुनका मोटर मार्ग का डामरीकरण	4.00	96.00
[illegible] – [illegible] –गणेशनगर मोटर मार्ग किमी0 1.85 से 2.85 तक अवशेष कार्य	L.S.	11.50
[illegible]–कुरझण–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 चैनेज 19.250 से 19.600 (350 [illegible]) किमी0 21, 22, 23, 24 व 25 में डामरीकरण	4.50	108.00
[illegible]–कुरझण–काण्डई हल्का वाहन मार्ग के किमी0 29.00 से 29.600 (600 मीटर), [illegible]	L.S.	11.94
[illegible] मल्ला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	2.00	[illegible]
[illegible] मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी0 0.00 से 2.750	2.00	[illegible]

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग

परिशिष्ठ

(देखिय नियम--6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा--2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग--1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :--

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस--पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	स्वीकृत लागत = रू0 12.60 लाख मात्र।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित मार्गों को जोडने हेतु एक मात्र विकल्प है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	0.002 लाख मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	0.5950 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि। 0.0000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि। 0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.1050 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	-- शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	-- शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-- शून्य

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	~~नहीं~~ हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 02/12/14
स्थान –रूद्रप्रयाग

(ई0 इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग–II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

परियोजना/स्कीम का स्थान		जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रूद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	1.1900 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0000 है0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 आरक्षित वन भूमि 0.1050 है0 नाप भूमि 0.5950 वन पंचायत भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	40%
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1.00 किमी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह	लागू नहीं

रहे हैं।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। — संलग्न

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — संलग्न है।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। — संलग्न है।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — संलग्न है।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — संलग्न

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न है।

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल — वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 1984 वर्ग किमी0

ii. जिला का वन क्षेत्र। — 1790.995 वर्ग किमी0

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 580.852hec. 145 केस

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण — 727.29 hec.

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — ....

(ख) वनेत्तर भूमि पर — X

v .....2014..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति — ....

(क) वन भूमि पर — 727.29

(ख) वनेत्तर भूमि पर — ....

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — प्रकरण रूद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अत जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक................ — हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान–रूद्रप्रयाग — नाम (प्रभागीय वनाधिकारी)

सरकारी मोहर — प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि................ नाम और पदनाम

स्थान– सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

A2-3

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 16.10.2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री एल0एस0 राणा वन दरोगा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री कर्मवीर सिंह बर्त्वाल, श्री अवतार सिंह रावत कार्य अभिकर्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.000 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे0, वन पंचायत भूमि 0.5950 हे0 एवं नाप भूमि 0.1050 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)...

प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

(मुहर: वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज (रूद्रप्रयाग))

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghav

जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय,
अगस्त्यमुनि राजि0

बर्सील से बमोली मोटर मार्ग का विस्तार के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आज दिनांक 16.10.2013 को बर्सिल से बमोली, मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार तथा मेरे द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण में उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी। गणना की सूची निम्न [illegible] में प्रस्तुत है–

[illegible]	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
[illegible]	—	11	19	18	15	8	2	—	—	—	73
[illegible]	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
[illegible]	—	11	21	19	16	8	2	—	—	—	77

[illegible] वृक्षों की गणना कर लाल रंग से अंकित किया गया है।
[illegible] मोटर मार्ग जो कि 1 किमी0 प्रस्तावित है, बमोली वन पंचायत /सिविल भूमि है।
[illegible] मोटर मार्ग के 7 मीटर चौडाई में वृक्षों की गणना की गया है।
[illegible] मुनि आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।
[illegible] निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी /कर्मचारी उपरिथत थे।

[illegible] से बमोल प्रस्तावित 1 किमी0 x 7 मीटर मोटर मार्ग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

भवदीय
(एल0 एस0 राणा)
वन दरोगा
अगस्त्यमुनि अनुभाग
रूद्रप्रयाग

([illegible] कुमार)
अवर अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0

SITE INSPACTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **0.5950 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Barsil to Bamoli Motor Road.** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ..9.12.2014......

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **0.5950 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project. No

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monoments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation). Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place ...Rudraprayag.......

Date ......16.12.2014...

Name ...(Kishan chand)...

Designation...D.F.O...

Office Seal. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

Name of the Work- Construction of Barsil to Bamoli motor road

Comparison between identified alignments

Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
Topography	Mountainous	Mountainous
Length of Road	1	1.20
Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
Geometric		
(a) Gradients	1:20	1:20
(b) Curves, H.P Bends	01 number of curve	01 number of curve
Existing Means of communication, mule path, jeep Tracks etc.	mule path	mule path
Right of way, bringing out construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment
(a) Terrain & Soil Condition.	The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, clayey silt, Soft Rock and Hard Rock.	The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders,clayey silt, Soft Rock and Hard Rock.
(i) Cliffs and gorges.	(i) None	(i) None
(ii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding.	(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding	(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding.
(iii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by the road ascends and descends.	(iii) The General elevation of the road is 1337 m. The elevation at the starting point of the road is 1365 m and the elevation at the end point of the road is 1291 m. Thus the road drops to a height of 74 m.	(iii) The General elevation of the road is 1338 m. The elevation at the starting point of the road is 1367 m and the elevation at the end point of the road is 1292 m. Thus the road drops to a height of 75 m.
(iv) Variations extant and	12/25	12/25
Climate Condition:		
(a) Temperature Monthly max. & min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)	(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)

Month	Alignment No-1 Temperature (in ^0C) Max.	Min.	Alignment No-2 Temperature (in ^0C) Max.	Min.
January	18	4	18	4
Feb.	22	7	22	7
March	27	13	27	13
April	33	18	33	18
May	35	20	35	20
June	32	21	32	21

	July	31	21	July	31	21
	August	30	23	August	30	23
	September	30	21	September	30	21
	October	29	17	October	29	17
	November	26	12	November	26	12
	December	21	5	December	21	5
(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available).	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution			(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution		
	Month	Average Rainfall Data (in mm)		Month	Average Rainfall Data (in mm)	
	January	74		January	74	
	Feb.	76		Feb.	76	
	March	77		March	77	
	April	36		April	36	
	May	48		May	48	
	June	140		June	140	
	July	322		July	322	
	August	271		August	271	
	September	150		September	150	
	October	66		October	66	
	November	12		November	12	
	December	33		December	33	
(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available).	(c)no Snowfall occurs			(c) no Snowfall occurs		
(d) Wind direction and velocities.	(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.			(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.		
(e) Fog Condition.	(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.			(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.		
(f) Exposure to sun.	(f) The site is exposed to sun throughout the year.			(f) The site is exposed to sun throughout the year.		
(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.			(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.		

Facilities resources.		
(a) Landing ground.	(a) None	(a) None
(b) Dropping Zone.	(b) None	(b) None
(c) Food stuffs.	(c) *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo* etc.	(c) *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo* etc.
(d) Labour local availability and need for import.	(d) Local labour is available for construction work.	(d) Local labour is available for construction work.
(e) Construction material Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 25 km.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 25 km.
Value of land, agricultural land, irrigated land, built up land, forest land etc,	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under-	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under-
	- Private land, 0.1050 hectare @ Rs. 9,00,000= Rs. 94500	- Private land, 0.1071 hectare @ Rs. 9,00,000= Rs. 96390
	- Forest Land, 0.5950 hectare @ Rs. 9,35,000= Rs. 556325	- Forest Land, 0.6121 hectare @ Rs. 9,35,000= Rs. 572313.5
	Thus total value of land = Rs. 75,49,160.00	Thus total value of land = Rs. 81,38,750.00
Approximate Const. Cost.	Rs. 12.60 lacs	Rs. 15.12 lacs
Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
Period required for	04 months	04 months
Strategic Consideration.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.
Important villages, towns and markets centers to be connected.	The road shall provide connectivity to Rudraprayag Gaurikund National Highway	The road shall provide connectivity to Rudraprayag Gaurikund National Highway
Recreational potential.	Nil	Nil
Economic Factors:		
(a) Population served by the alignment.	(a) 70 numbers	(a)70 numbers
(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b) Transportation of the cultivated crops by mechanical means (i.e.. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.	(b) Transportation of the cultivated crops by mechanical means (i.e.. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.

30

Other major development projects being taken up electric projects etc.	None	None
(i) Misc. Such as camping sites	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.
(ii) Law and other problem	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.
(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
(v) Working period available for construction of work.	(v) 12 months in a year	(v) 12 months in a year
Total No. of trees to be removed.	77 numbers	Approximately 86 numbers.
Average Density of forest cover.	0.2 (Dense Forest)	0.2 (Dense Forest)
Total No. of Merits	15	11
Total No. of Demerits	4	8

RECOMMENDATIONS:

Alternative-II is Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

A.E.
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

E.E.
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

D.F.O.
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग